

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 13/07/2017

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 21/07/2017

विभाग का नाम : चिकित्सा शिक्षा

विषय : निजी नर्सिंग महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय में पाठ्यक्रम/अनुसंधान/चिकित्सालय का संचालन ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1388) श्री संजय उइके

क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या प्रदेश में निजी नर्सिंग महाविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय व दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में पाठ्यक्रम/अनुसंधान/चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं ? (ख) यदि हाँ तो कौन से महाविद्यालय, किस-किस पाठ्यक्रम के कहाँ-कहाँ, कब से संचालित किए जा रहे हैं ? निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व डेंटल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इण्डिया व मेडिकल काउंसिल ऑफ एम0पी0 व डेंटल काउंसिल ऑफ एम0पी0, नर्सिंग काउंसिल ऑफ म0पी0 के मापदण्ड/आदेश की प्रति, किन-किन महाविद्यालयों को किन-किन पाठ्यक्रमों में कब-कब, कहाँ-कहाँ मान्यता दी गई है? मान्यता आदेश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) निजी महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में फीस निर्धारण हेतु क्या नियम आदेश है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रदेश में संचालित निजी चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय शासकीय चिकित्सालयों के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग अथवा अनुबंध हस्ताक्षरित किये गए हैं ? यदि हाँ तो किस-किस महाविद्यालय द्वारा किस-किस चिकित्सालय के साथ कब-कब मेमोरेण्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग अथवा अनुबंध हस्ताक्षरित किये गए हैं ?

Send By : DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION | On : 30/06/2017

Remark: Please provide necessary information in the time limit positively.

Click here to [Reply To DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION](#) or [Forward](#) or [Forwarding Question List](#) or

मध्य प्रदेश नर्सिंग एजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल, मध्य प्रदेश

एजिस्ट्रेशन

11

प्रतिनिधि :- संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश की ओर सूचनाएं ।

क्रमांक/विधान सभा / 17 /
भोपाल, दिनांक: / / 2017

मध्य प्रदेश नर्सिंग एजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल, मध्य प्रदेश

एजिस्ट्रेशन

11

अतः आपसे अनुरोध है कि जिन संस्थाओं ने सम्बद्धता प्राप्त करके छात्र-छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण नहीं दिलवाया, उनकी समस्त जानकारी भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र. सं.	नर्सिंग महाविद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या			संबद्ध चिकित्सालय का नाम	शेड्यूल की संख्या	सम्बद्धता की दिनांक
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

संदर्भ:- विधान सभा का तारारहित प्रश्न क्रमांक 1388 श्री संजय उडके के संबंध में।
उपरोक्त विषयगतित एवं संदर्भित विधान सभा के प्रश्न के संबंध में लेख है कि वर्ष 2016-17 के निजी नर्सिंग महाविद्यालयों प्रायोगिक प्रशिक्षण (वर्गानिकल ट्रेनिंग) हेतु मेमोरेण्डम ऑफ अपडर स्ट्रिंग अथवा अनुबंध किये गये थे एवं वर्ष 2017-18 के लिये किन-किन नर्सिंग महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की जा रही है। यह जानकारी अत्यन्त आवश्यक है अतः निम्न प्रारूप के अनुसूचि वांछित जानकारी 3 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।

विषय:- निजी नर्सिंग महाविद्यालयों को शासकीय चिकित्सालयों के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अपडर स्ट्रिंग अथवा अनुबंध के संबंध में जानकारी।

जिला

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा
चिकित्सा महाविद्यालय

1. अधिष्ठाता

प्रति,

क्रमांक/विधान सभा / 17 / 9920
भोपाल, दिनांक: 05/07 / / 2017

गोमंतिका परिसर, पृथीय तल, 12 दफ्तर रोड, जवाहर चौक, भोपाल (मध्य प्रदेश)

कामगार
मध्य प्रदेश नर्सिंग एजिस्ट्रेशन कौंसिल

राजस्थान
मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षा विभाग का
भोपाल, मध्य प्रदेश

प्रतिनिधि :- संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश की ओर सूचनाएं ।

क्रमांक/विधान सभा / 17 / / भोपाल, दिनांक: / 2017

राजस्थान
मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षा विभाग का
भोपाल, मध्य प्रदेश

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न संस्थाओं ने सम्बद्धता प्राप्त करके छात्र-छात्रों को प्रयागिक प्रशिक्षण नहीं दिलाया, उनकी समस्त जानकारी भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सं. क्र.	नर्सिंग महाविद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या			सम्बद्ध चिकित्सालय का नाम	संस्था की संख्या	सम्बद्धता की दिनांक
		प्रमाण वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

संदर्भ:- विधान सभा का तारिकित प्रश्न क्रमांक 1388 श्री संजय उडके के संबंध में।
उपरोक्त विधायनार्थ एवं संदर्भित विधान सभा के प्रश्न के संबंध में लेख है कि वर्ष 2016-17 के निजी नर्सिंग महाविद्यालयों प्रयागिक प्रशिक्षण (वर्गानिकल ट्रेनिंग) हेतु मेमोरेण्डम ऑफ अपडर स्ट्रिग अथवा अनुबंध किये गये थे एवं वर्ष 2017-18 के लिये किन-किन नर्सिंग महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की जा रही है। यह जानकारी अत्यन्त आवश्यक है अतः निम्न प्रारूप के अनुसार वांछित जानकारी 3 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।

विषय:- निजी नर्सिंग महाविद्यालयों को शासकीय चिकित्सालयों के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अपडर स्ट्रिग अथवा अनुबंध के संबंध में जानकारी।

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला

राजस्थान महाविद्यालय
भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/सीवा

1
प्रति,
अधिकारी

क्रमांक/विधान सभा / 17 / 9919 / भोपाल, दिनांक: 05/07/2017

गोमंतिका परिसर, पृथिव तल, 12 दफतर रोड, जवाहर चौक, भोपाल (मध्य प्रदेश)

कामपालय
मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षा विभाग का
भोपाल (मध्य प्रदेश)